नि0 – 04 – PBR – 16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ..../2016 निगरानी

1– रामबाबू तिवारी पुत्र श्री सियाराम तिवारी
2– अवधेश तिवारी पुत्र श्री हरदयाल तिवारी
जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम करहिया
तहसील चीनौर जिला ग्वालियर

–प्रार्थीगण

बनाम

1– परमाल सिंह
2– पृथ्वी सिंह पुत्रगण श्री रणवीर सिंह
3– अनुराग सिंह
4– अविनाश सिंह पुत्रगण श्री पृथ्वी सिंह समस्त
जाति राजपूत निवासीगण ग्राम करहिया
तहसील चीनौर जिला ग्वालियर
5– भीकम सिंह
6– मुलायम सिंह
7– कृपाल सिंह
8– शिशुपाल सिंह पुत्रगण श्री खेमराज समस्त
जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सिरसुला
तहसील चीनौर जिला ग्वालियर
9– बाबू पुत्र श्री नदरिया कुशवाह ग्राम करहिया
तहसील चीनौर जिला ग्वालियर

–प्रतिप्रार्थीगण

श्री अशोक भार्गव अभिभाषक द्वारा दिनांक 1-1-16 को प्रस्तुत।
1-1-16
S.O

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 29.12.2015 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भितरवार जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 18/2014–15/अपील रामबाबू आदि बनाम परमाल सिंह। तहसीलदार चीनौर का प्रकरण क्रमांक 4/2013–14/अ–3 परमाल सिंह आदि बनाम शासन आदेश दिनांक 24.04.2014

1.1.16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. 04 –पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

उत्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.4.16	उभयपक्ष अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तत कर उसके संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं । उक्त आवेदन पत्र को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 29–12–2015 से निरस्त किया गया है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के निराकरण के लिये आवश्यक होने के बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि यदि आवेदकगण की ओर से छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की गई थी, तब उन्हें मूल प्रति अथवा सत्य प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत करने के आदेश देने चाहिये थे । 2/ प्रतिउत्तर में अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से मूल दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपियॉ प्रस्तुत नहीं की गई है । यहॉ तक कि सत्यप्रतिलिपि की छायाप्रतियॉ भी प्रस्तुत नहीं कर केवल दस्तावेजों की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की गई है अतः आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । 3/ विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य न्याय हो, इसलिये उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को, जो कि प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक है, अभिलेख पर लेना चाहिये, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में उनके प्रति अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी का प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को अभिलेख पर ले, तत्पश्चात् उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें । अध्यक्ष	